

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biada.in, Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612 - 2675995/2675991/फैक्स 2675889

कार्यालय - आदेश

बियाडा अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों में पूर्व से रद्द इकाई की भूमि का आवंटन किया जाता है। जिसमें में कई पूर्व से रद्द इकाई का लीजडीड निबंधन हुआ रहता है, उक्त लीजडीड विखण्डन के पश्चात ही नव आवंटी इकाई के पक्ष में लीजडीड निबंधन किया जाता है। जिसके कारण नव आवंटी इकाई के लीजडीड के निबंधन में विलम्ब होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में बियाडा का दायित्व है कि पूर्व से रद्द इकाई के लीजडीड निबंधन का विखण्डन बियाडा अपने स्तर से कराये।

अतः आदेश दिया जाता है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्राधीन रद्द इकाई जिनका आवंटन किया जाना है/किया जा चुका है, उन सभी इकाईयों के लीजडीड का विखण्डन अपने स्तर करा लें एवं इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागे समझा जाय।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक... 137 / 32/DO/Biada/10

दिनांक... 3.02.11

प्रतिलिपि: कार्यकारी निदेशक, विकास पदाधिकारी पटना/भागलपुर/
मुजफ्फरपुर/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक